मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल–462004
//आदेश//

भोपाल 15/12/2016

क्रमांक/3121/3524/2016/ 50–2 :: विभागीय आदेश क्र0 एफ 3–11/2007/50–2 दिनांक 23.1.2015 द्वारा मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना निधि का गठन किया गया है तथा सम संख्यक आदेश दिनांक 24.4.2015 के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना निधि के संचालन संबंधी पुनरीक्षित निर्देश जारी किये गये हैं । इसी अनुक्रम में निधि के रखरखाव एवं निधि से राशि के आहरण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं ।

1. **निधि से आहरण करनाः–** निधि से आहरण करते समय जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी (डी.डी.ओ) के द्वारा आहरण से संबंधित विधिवत आदेश (संलग्न **प्रारूप "अ"**) जारी किये जावे तथा हितग्राही से संबधित जानकारी संलग्न **पत्रक** में संधारित की जाये । लाडली लक्ष्मी योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को भुगतान की जाने वाली छात्रवृत्ति का आहरण कलेक्टर महोदय की अनुमति से सामान्यतः माह में एक बार ही किया जाये।

2. **ई–पेमेंट के माध्यम से हितग्राही को भुगतानः–** हितग्राहियों को समस्त भुगतान ई–पेमेंट के माध्यम से किया जाना है। ई–पेमेंट से भुगतान की गई राशि की जानकारी का संधारण करते समय यह ध्यान रखा जाये कि प्रत्येक हितग्राही की जानकारी में ई–चैक क्रमांक उल्लेखित हो। ताकि लेखांकन के समय यह स्पष्ट हो सके कि राशि का आहरण किस ई–चैक के माध्यम से हुआ है । ई–चैक संबंधी जानकारी संबंधित डी.डी.ओ. के द्वारा संबंधित कोषालय/ उप कोषालय से प्राप्त की जानी होगी। जारी की गई राशि व ई चैक क्रमांक की जानकारी प्रति माह संलग्न पत्रक में संचालनालय व संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय में प्रेषित की जाये।

3. **हितग्राही के खाते में जमा राशि** :– लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत 21 वर्ष की आयु पर संबंधित हितग्राही को निश्चित राशि दिये जाने का आश्वासन राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है । यदि किसी स्थिति में संबंधित हितग्राही के खाते में निश्चित राशि से अधिक राशि जमा होती है, तो वह राशि संबंधित हितग्राही के खाते से अंतिम आहरण के समय विकलित की जाकर राज्य की संचित निधि में जमा की जाना आवश्यक होगा । इस प्रकार की कार्यवाही करते समय संबंधित डी.डी.ओ. द्वारा आवश्यक आदेश जारी किये जायेंगें जो संबंधित हितग्राही के लेखों को ध्यान में रखते हुए किये जायेंगें ।

4. **हितग्राही की जानकारी** :– हितग्राही के खाते में राज्य शासन की ओर से 6000/– प्रतिवर्ष हितग्राही के मान से 5 वर्ष तक राशि जमा की जानी है । राशि जमा करते समय संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी के द्वारा विस्तृत आदेश जारी किये जायेंगें, जिसमें हितग्राही का पंजीयन क्रमांक, किश्त की संख्या, प्रारम्भिक शेष, अंतिम शेष एवं जमा की जाने वाली राशि का विवरण दर्ज किया जायेगा । राज्य की समेकित निधि से राशि आहरित किये जाने के समय जारी करने वाले आदेश महालेखाकार

कार्यालय एवं संचालनालय महिला एवं सशक्तिकरण को भी अनिवार्य रुप से पृष्ठांकित किये जाने होंगें ताकि लेखांकन की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकें ।

5. **हितग्राही के खाते में जमा राशि पर ब्याज का निर्धारणः**—योजना के अंतर्गत राज्य शासन के द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित प्रतिशत ब्याज दर पर ब्याज दिया जाना होगा, अतः प्रत्येक आहरण संवितरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वित्तीय वर्ष के अंत में प्रत्येक हितग्राही के खाते में जमा शेष राशि पर वित्त विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित ब्याज दर से ब्याज की गणना की जाये । ब्याज की गणना की शुद्धता का दायित्व संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी का होगा । ब्याज की राशि जमा करने के उपरांत अंतिम शेष का निर्धारण भी निर्धारित प्रपत्र में किये जाने का दायित्व संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी एवं संचालनालय का होगा । ब्याज भुगतान संबंधी आदेश पूर्व अनुसार महालेखाकार एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय को पृष्ठांकित किये जायेगें। पृष्ठांकित आदेश में हितग्राही वार सूचियां भी सम्मिलित रहेंगी।

6. जिला स्तर पर प्रत्येक लेन–देन का एक्सेल में बेकअप रखा जायें ।

यह आदेश मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 584/904/ब–5/चार/ 2016 दिनांक 2.11.2016 के अनुक्रम में जारी किया जाता है।

(रवीन्द्र सिंह)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ0 क/3122 /3524/2016/50-2 भोपाल, दिनाँक 15/12/2016

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग, की ओर उनके यू.ओ.क्रमांक 584 / 904/ ब–5/चार/ 2016 दिनांक 2.11.2016 के संदर्भ में।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)द्वितीय मध्यप्रदेश गवालियर ।
3. विशेष सहायक मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग ।
4. आयुक्त,एकीकृत बाल विकास सेवा/महिला सशक्तिकरण,म0प्र0 ।
5. कलेक्टर, जिला – समस्त मध्यप्रदेश ।
6. निज सचिव, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, संभाग ।
8. समस्त जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी जिला –
9. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी परियोजना
10. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

प्रपत्र–अ

कार्यालय जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी , जिला मध्यप्रदेश

क्रमांक / / लेखा / ला.ल.यो.–निधि / 2016–17 भोपाल, दिनांक

(लाडली लक्ष्मी योजना निधि से आहरण हेतु स्वीकृति आदेश)

::आदेश::

मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत मुख्य लेखा शीर्ष 8448 – स्थानीय निधियों की जमा – 120– अन्य निधियां – 0120– लाडली लक्ष्मी योजना निधि से योजना के प्रावधान अनुसार बालिका हितग्राही को छात्रवृति भुगतान की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है –

क्र0	पंजीयन क्र0	हितग्राही का नाम	पिता का नाम	माता का नाम	पता	हितग्राही की निधि में जमा राशि	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	शेष राशि	हितग्राही का बैंक खाता क्र0	बैंक का नाम एवं IFS कोड	हितग्राही की कक्षा एव स्कुल का नाम
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
योग											

शब्दों में (राशि रु0)

कलेक्टर द्वारा स्वीकृत

जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी
जिला मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनाँक .2016

पृ0 क्र / / 2016 /
प्रतिलिपि:–

1. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर ।
2. आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, म0प्र0 ।
3. संबंधित कलेक्टर, जिला –
4. संबंधित कोषालय अधिकारी
5. आहरण एवं संवितरण अधिकारी
6. संभागीय संयुक्त संचालक / उपसंचालक महिला एवं बाल विकास विभाग।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी
जिला मध्यप्रदेश